

9.04.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी वकील उपरिथत। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अधिवक्ता की बहस एव साक्ष्य सबूतो को मध्यनजर रखते हुए। विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। डिकी की पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

hmn

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

